

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 07, गुरुवार, शके 1947- फरवरी 26, 2026 Phalguna 07, Thursday, Saka 1947- February 26, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2026

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 20455035 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड-बयाना द्वारा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में एस.एच.-01 (विड़्यारी) से एस.एच.-45 (ब्रह्मवाद) तक नवीन एलाइनमेंट पर बयाना बाईपास सड़क निर्माण एवं सुधार कार्य किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक परियोजनार्थ तहसील बयाना जिला भरतपुर में निम्नानुसार प्रभावित गाँव में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.स.	जिला	तहसील	गाँव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	भरतपुर	बयाना	चक विड़्यारी	उपखण्ड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना
2	भरतपुर	बयाना	मुर्की	उपखण्ड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना
3	भरतपुर	बयाना	सीदपुर	उपखण्ड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना
4	भरतपुर	बयाना	ब्रह्मवाद	उपखण्ड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना
5	भरतपुर	बयाना	नयावास	उपखण्ड अधिकारी, एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बयाना

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न सूचि अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समांघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से संपर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड बयाना को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर सम्बंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड बयाना द्वारा परियोजना हेतु प्रतावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँव में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँव में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरांत जनसुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को सामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रतिक्रिया प्रभावित गाँव में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मुल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और सुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

संपर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड-बयाना

जिला-भरतपुर।

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी

मैसर्स स्ट्रेथ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर

(श्री सन्तोष चौधरी-सोशल एक्सपर्ट)

मोबाईल नंबर :- 9929980238

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।